

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 302 सन 2019

अनवान :-

1. शिवकुमार पुत्र गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गमता पुत्री गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. सुमन पुत्री गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. समता पुत्री गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 06/09/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 एन.टी.आर. के खाता संख्या 81/57 के प०न० 373/427(26) किला न० 2/2 की 0.177 ,3/1 की 0.1900 , 4/2 की 0.2020 ,5/1 की 1.900 ,6/2 की 0.253 ,7 ता 9 ,0.759 ,12 ता 14 /0.759 ,15 ता 17 /0.759 ,19 ,19/0.506 ,22 ता 25/1.0120हैक कुल 20 किता की 4.8070हैक प०न० 372/428(30) के किला न० 13 ता 18/1.265 ,24 ,25/0.506 ,प०न० 373/428(31) किला न० 11 ता 13/0.759हैक , 14 ता 16/0.759 ,17 ता 19/0.759 ,21 ,22/0.759 ,23 ता 25/00.759हैक कुल किता 15 की 3.795हैक प०न० 374/428(32) के किला न० 21/0.253 ,प०न० 374/428(52) किला न० 1 ,2/0.506 , प०न० 372/429(54) किला न० 4 ,5/0.506 हैक कुल किता 48 की कुल 11.8910हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा प्रातपसिंह पुत्र हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा र प्रातपसिंह पुत्र हरचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा प्रातपसिंह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

6
उपखण्डाधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता प्रतापसिंह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल गिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल गिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 एन.टी.आर. के खाता संख्या 81/57 के प0न0 373/427(26) किला न0 2/2 की 0.177 ,3/1 की 0.1900 , 4/2 की 0.2020 ,5/1 की 1.900 ,6/2 की 0.253 ,7 ता 9 ,0.759 ,12 ता 14/0.759 ,15 ता 17/0.759 ,19 ,19/0.506 ,22 ता 25/1.0120 हैव कुल 20 किता की 4.8070 हैव प0न0 372/428(30) के किला न0 13 ता 18/1.265 ,24 ,25/0.506 ,प0न0 373/428(31) किला न0 11 ता 13/0.759 हैव , 14 ता 16/0.759 ,17 ता 19/0.759 ,21 ,22/0.759 ,23 ता 25/00.759 हैव कुल किता 15 की 3.795 हैव प0न0 374/428(32) के किला न0 21/0.253 ,प0न0 374/428(52) किला न0 1 ,2/0.506 , प0न0 372/429(54) किला न0 4 ,5/0.506 हैव कुल किता 48 की कुल 11.8910 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा प्रातपसिंह पुत्र हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा प्रातपसिंह पुत्र हरचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा प्रतापसिंह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जाना भी स्वीकार किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 एन.टी.आर. के खाता संख्या 81/57 के प0न0 373/427(26) किला न0 2/2 की 0.177 ,3/1 की 0.1900 , 4/2 की 0.2020 ,5/1 की 1.900 ,6/2 की 0.253 ,7 ता 9 ,0.759 ,12 ता 14/0.759 ,15 ता 17/0.759 ,19 ,19/0.506 ,22 ता 25/1.0120 हैव कुल 20 किता की 4.8070 हैव प0न0 372/428(30) के किला न0 13 ता

उपखण्डाधिकारी
नोर

18/1.265 ,24 ,25/0.506 ,प0न0 373/428(31) किला न0 11 ता 13/0.759हैव , 14 ता 16/0.759 ,17 ता 19/0.759 ,21 ,22/0.759 ,23 ता 25/00.759हैव कुल किता 15 की 3.795हैव प0न0 374/428(32) के किला न0 21/0.253 ,प0न0 374/428(52) किला न0 1 .2/0.506 , प0न0 372/429(54) किला न0 4 ,5/0.506 हैव कुल किता 48 की कुल 11. 8910हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा प्रतापसिंह पुत्र हरचन्द के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतापसिंह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोपणा की जाती है कि रोही गौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 81/57 की कुल 11.8910हैव भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
झोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. शिवकुमार पुत्र गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ममता पुत्री गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. सुमन पुत्री गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. समता पुत्री गोपालसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 302 सन 2019 निर्णय दिनांक- 6/9/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 81/57 की कुल 11.8910 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)